कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़

//आदेश//

क्रमांक 3177/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 14.04.2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बिमारी है। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3016/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 31.03.2020 द्वारा आदेश प्रसारित किये गए है।

2. इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेश की कंडिका "अ" अनुसार जिले रायगढ़ के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 14.04.2020 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी गया था।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार का आदेश क्रमांक 1–29/2020–PP(Pt.II) दिनांक 24.03.2020 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40–3/2020– DM-I(A) दिनांक 24.03.2020 के माध्यम से 25.03.2020 से लेकर आगामी 21 दिन अर्थात 14 अप्रेल 2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉकडाउन किये जाने का आदेश जारी किया गया था। संशोधित करते हुए दिनांक 14 अप्रेल 2020 से दिनांक 03 मई 2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉक डाउन किये जाने का आदेश जारी किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक/211/मु.स./2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25.03.2020 के माध्यम से उपरोक्त कंडिका 3 में वर्णित भारत सरकार के आदेशों के अनुसार संपूर्ण प्रदेश में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

5. अतः उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित आदेशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेशक्रमांक 3016/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 31.03.2020 के अनुसार जिला रायगढ़ के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 14.04.2020 रात्रि 12:00 बजे तक आदेशित पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के आदेश की समय–सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 03.05.2020 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश दिया जाता है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

6. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2899/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 24.03.2020 एवं आदेश क्रमांक 3016/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 31.03.2020 के कंडिका 'स' में वर्णित कार्यालय/प्रतिष्ठान को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है।

7. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुये इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2899/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 24.03.2020, पत्र क्रमांक 2966/कोरोना/2020 रायगढ़ दिनांक 29.03.2020 एवं पत्र क्रमांक 3016/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 31.03.2020 के अनुक्रम (Continuation) में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 3177 A / न्या.लि. / 2020 रायगढ़, दिनांक 14.04.2020

प्रतिलिपिः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर सभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)